

कौशिं

कार्यालय झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

श्री ASHOK INFRA PROPERTY PVT. LTD. DIR. MR ROHIT GIRI
मुत्र/पत्नी श्री S/O SH RAJGIRI

दिनांक : 28 Aug 2018

पता : RIO SIPRI BAZAR, JHANSI

आप द्वारा प्रस्तुत मानविक संचालन 0404003118 में प्रस्तावित गवन नियोजन जो गोजना / योजना MERO / NOTHING के आराजी संख्या / सूख्ख्य संख्या 99/4 & 107 994 & 107 में स्थित है, को विमालित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृति, मानविक संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उम्प्रानगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की घारा 15 के कानूनप्रदान की जाती है।

1. यह वानविक्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक बैद्य है।
2. मानविक्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वातंत्र्य एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. विस प्रयोजन के लिये नियोजन की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
विपरीत प्रयोग छोड़ने पर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की घारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. छोड़ने पर विकास अधिनियम की घारा 35 के अंतर्गत यदि विविध सुधार कार्रव देते हुए कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो विना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो ऐन भूमि विकास कार्रव में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्रव करने की विमेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानविक्र का सेट नियोजन स्थल पर रखना होना ताकि गौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा नियोजन कार्रव स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्रव करने की सूचना देंगे।
8. नियोजन की व्यवस्था में स्वीकृत मानविक्र के विलक्षण यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. नियोजन कार्रव पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर नियोजन पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अव्यासन (औकृपैन्चरी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आंकड़ा) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य कुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

12. अन्य

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की घारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
संलग्नक :- स्वीकृत मानविक्र की प्रति ।
प्रतिलिपि :- उत्तर अभियंता.......... को प्रेषित।

संधिकार प्राधिकरण
झांसी विकास प्राधिकरण

संधिकार प्राधिकरण
झांसी ४०, १८